संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, 1,शिवाजी नगर,भोपाल

क्रमांक:एफ 17/सं.नि./2019/4347 भोपाल,दिनांक 27/05/2019

वरिष्ठ परामर्शी(सीनीयर कंसलटेंट), परामर्शी(एसोसिएट प्रोफेसर), कनिष्ठ परामर्शी(असिस्टेंट प्रोफेसर) एवं विशेषज्ञ की संविदा नियुक्ति
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12/07/2019

मध्यप्रदेश शासन,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत संचालित गैस राहत चिकित्सा इकाईयों में वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी एवं विशेषज्ञ के रिक्त पदो पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जाने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उक्त आवेदन पत्र संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,01,शिवाजी नगर,भोपाल से विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 12/07/2019 (दिन शुक्रवार) तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रू. 500/- (रू. पॉच सौ मात्र) तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रू. 250/- (रू. दो सौ पचास मात्र) का बैंक ड्राफट जो कि संचालक,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल के नाम से देय होगा, जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ समक्ष में या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 12/07/2019 (दिन शुक्रवार) सायं 5:00 बजे तक संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,01,शिवाजी नगर,भोपाल 462001 में जमा किए जा सकते हैं। डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र भी उक्त निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक प्राप्त होना अनिवार्य है। किसी भी डाक विलम्ब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा। उक्त निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
यह विज्ञापन विभागीय वेबसाईट WWW.bgtrrd.mp.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

(1) रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैं (जिनमें कमी या वृद्धि हो सकती है) :-

क्र.	संविदा पद	संविदा वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	अनुभव	विषयवार रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4		
1.	वरिष्ठ परामर्शी (सीनीयर कंसलटेंट)	रू 1,07,858/-	अर्हता:- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग-2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची-तीन के भाग-2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्ते भी पूरी करने होगी) संबंधित डिसिप्लीन / विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात एम.डी./ एम.एस या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता और/या सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच.तथा, मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु /डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।	अनुभव :- एम.डी./एम.एस की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपर स्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षो के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 14 वर्षो का अनुभव। **और/या** एम.सी.एच./डी.एम. या इसके समकक्ष अर्हता अथप्राप्त करने के पश्चात सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 12 वर्षो का अनुभव।	मेडिसिन - 01 पीडियाट्रिक्स -01

2	परामर्शी (एसोसिएट प्रोफेसर)	रू 1,05,688/–	**अर्हताः–** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग–2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची–तीन के भाग–2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की घारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्ते भी पूरी करने होगी)संबंधित डिसिप्लीन/विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात एम.डी./एम.एस या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता **और/या** सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच.तथा मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु /डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।.	**अनुभव :–** एम.डी./एम.एस की अर्हकारी उपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपर स्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षो के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 08 वर्षो का अनुभव । **और/या** एम.सी.एच./डी.एम. या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 06 वर्षो का अनुभव ।	आप्थालमोलॉजी 01 गेस्ट्रोएन्ट्रोलाजी 01 नेफोलाजी 01 रेडियोलॉजी 01 न्यूरोलाजी 01 कार्डियोलाजी (आई.सी.यू) 01 सायकेट्री 01
3	कनिष्ठ परामर्शी (असिस्टेंट प्रोफेसर)	रू 53042/–	**अर्हताः–** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग–2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची–तीन के भाग–2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की घारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्ते भी पूरी करने होगीसंबंधित डिसिप्लीन/विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात एम.डी/एम.एस या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता , **और/या** सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच.तथामेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु /डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।	**अनुभव :–** एम.डी./एम.एस की अर्हकारीउपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपरस्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षो के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव ।	गेस्ट्रोएन्ट्रोलाजी 01 पीडियाट्रिक्स मेडिसिन 01 पैथॉलाजी 02 (1अनारक्षित,1अनुसूचित जन जाति) रंडियोलॉजी 01 कार्डियोलाजी,(आई.सी.यू) 01 डायलिसिस 01

4.	विशेषज्ञ	रू 53,848/–	अर्हताः– भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची या अनुसूची तीन के भाग–2 में सम्मिलित कोई चिकित्सा अर्हता (अनुसूची–तीन के भाग–2 में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 13 (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्तें भी पूरी करने होगी)संबंधित डिसिप्लीन विषय में कोई स्नातकोत्तर अर्हता, अर्थात एम.डी./एम.एस या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता , और/या सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु एम.सी.एच.तथामेडिकल सुपर स्पेशलिटी हेतु/डी.एम. या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता।,	अनुभव :– एम.डी./एम.एस की अर्हकारीउपाधि अभिप्राप्त करने के पश्चात संबंधित सुपर स्पेशलिटी के सुस्थापित विभाग में 2 वर्षो के विशेषज्ञ प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशलिटी के विषय में मान्यता प्राप्त संस्था में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव ।	मेडिकलविशेषज्ञ–03 (2अनारक्षित,1अनुसूचित जनजाति) सर्जिकल विशेषज्ञ–01 नेत्ररोग विशेषज्ञ–03 (2अनारक्षित,1अनुजन जाति) पैथालाजी विशेषज्ञ–04 (2अनारक्षित,1अनु सूचितजनजाति,1 अनुसूचितजाति) मानसिंक रोग विशेषज्ञ –01 ब्लड बैंक आफीसर–01 रेडियोलॉजिस्ट–04 (2अनारक्षित,1अनु सूचितजनजाति,1 अनुसूचितजाति), शिशु रोग विशेषज्ञ–03 (2अनारक्षित,1अनुजन जाति)

(2) आयुः– संविदा नियुक्ति के लिए उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को जिसमे नियुक्ति की जाना है न्यूनतम और अधिकतम आयु–सीमा 21 वर्ष और 65 वर्ष होगी।

(3) **सेवा निवृत्त शासकीय सेवक की नियुक्ति**–सेवा निवृत्त चिकित्सक यदि आयु तथा अन्य अर्हता रखते हैं तो वे भी संविदा नियुक्ति के लिए पात्र होगें।

(4) **निरर्हता**–कोई भी अभ्यर्थी संविदात्मक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा,यदि उसकी दो से अधिक संतानें हैं,जिनमें से एक का जन्म 26जनवरी,2001 को या उसके पश्चात् हुआ था।

(5) **संविदा नियुक्ति की कालावधि एवं पदस्थापना**– संविदा चिकित्सक की संविदा की कालावधि नियुक्ति दिनांक से अधिकतम दो वर्ष होगी।

(6) चयन हेतु मेरिट तैयार करने के मापदंडः– (1) एम.बी.बी.एस.उपाधि के 20 अंक,(2) स्नातकोत्तर के लिए 10 अंक, (प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणात्मक 2 अंक), (3) सुपर स्पेशलिटी 10 अंक में पोस्ट पी.जी. (प्रत्येक प्रयत्न हेतु ऋणात्मक 2 अंक), (4) प्रकाशन हेतु 15 अंक मेडिकल काउन्सिल इंडिया के मानदंडों द्वारा अपेक्षित प्रकाशनों की न्यूनतम संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 अंक/ प्रकाशन आई.एन.डी.ई.एक्स., एम.ई.डी.यू.एस. /नेशनल जनरल में अनुक्रमणित होना चाहिए, (5) अनुभव हेतु 15 अंक(उक्त पद के लिए विहित अनुभव के अतिरिक्त प्रत्यके वर्ष के अनुभव हेतु 2 अंक) (6)साक्षात्कार हेतु 30 अंक ।.

(7) पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पत्र व्यवहार के पते पर दी जाएगी तथा साक्षात्कार पश्चात् उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्राप्तांकों की अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट WWW.bgtrrd.mp.gov.in पर किया जाकर निर्धारित समय सीमा में दावा/आपत्तियॉं ~~प्राप्त~~ की जाकर दावा/आपत्तियों के निराकरण पश्चात् अंतिम मेरिट सूची, चयनित सूची, व प्रतिक्षा सूची उक्त विभागीय वेबसाईट पर जारी की जाएगी। जिसकी जानकारी के लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

<u>नियुक्ति की अन्य शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–</u>

1.चयनित अभ्यर्थी,नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के तत्काल पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ 50 रूपए के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय,चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किए जाएगें.चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से संविदा सेवा में माना जाएगा।

2. चयनित अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने के भीतर संविदा नियुक्ति के स्थान पर 15 दिवस में अपना कार्यभार ग्रहण करें। उक्त काल अवधि में कार्यभार न ग्रहण करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रदद् हो जाएगी।

3. संविदा वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी एवं विशेषज्ञ का चरित्र सत्यापन,शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति बिना कोई कारण तुरन्त रदद् कर दी जाएगी।

4. संविदा वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी एवं विशेषज्ञ द्वारा संविदा राशि प्राप्त करने के पूर्व संविदा अधिकारी स्वयं अपने खर्चे पर जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाने वाला चिकित्सीय परीक्षण करवाएगा। इस चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा नियुक्ति वैध होगी। सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को भी ,यदि वे उक्त पद पर नियुक्त किए जाएं,ऐसा चिकित्सीय परीक्षण करवाना आवश्यक होगा।

5. संविदा वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी एवं विशेषज्ञ पद हेतु साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवेदन में संलग्न दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। सत्यापन के समय यदि कोई भी दस्तावेज पूर्ण/सही नहीं पाया जाता है तो उसका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

6. नियुक्ति पश्चात् किसी भी समय यदि कोई भी अभिलेख असत्य या छिपाए हुए पाए जाते हैं तो संबंधित की संविदा नियुक्ति तत्काल समाप्त की जाएगी व संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7. संविदा वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी एवं विशेषज्ञ शासकीय सेवा में नियमितिकरण के लिए हकदार नहीं होगें और न ही भविष्य में इस नियुक्ति के आधार पर किसी प्रकार के नियमितिकरण का दावा कर सकेगें।

8. संविदा नियुक्ति, किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय पर एक माह का सूचना या एक माह की संविदा राशि का भुगतान करके संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

9. संविदा वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी एवं विशेषज्ञ बिना किसी विशिष्ट कारण के बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी।

10. संविदा वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी एवं विशेषज्ञएक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। वह एक समय में अधिकतम 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकेगा/सकेगी। महिला संविदा कर्मचारी,जिसकी दो से कम जीवित संतान हों अधिकतम 180 दिनों की कालावधि के लिए प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। उपरोक्त अवकाश स्वीकृत करने की शक्तियाँ संबंधित इकाई प्रमुख में निहित होगीं।

11. संविदा वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी एवं विशेषज्ञ उसकी संविदात्मक कालावधि के लिए किन्हीं पेन्शन संबंधी प्रसुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि भी देय नहीं होगा।

12. अन्य सेवा संबंधी शर्ते ऐसी होगी, जैसी नियुक्ति आदेश में विर्निदिष्ट की जाऐं।

13. इसके अतिरिक्त शासन/संचालनालय,भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास द्वारा आवश्यक सेवा शर्तो का समावेश नियुक्ति के समय किया जा सकता है।

14.संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक को चिकित्सालय की आवश्यकता अनुसार एवं निर्धारित टाइम टेबिल अनुसार डयूटी चिकित्सालय में देनी होगी। अवकाश दिवस में डयूटी एवं रात्रिकालीन डयूटी का आफ संचालनालय,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नियमानुसार दिया जावेगा।

15. संविदा वरिष्ठ परामर्शी, परामर्शी, कनिष्ठ परामर्शी एवं विशेषज्ञ भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित संविदा नियम–2003 में निहित व समय समय पर शासन द्वारा संशोधित किए गए अन्य प्रावधानों के भी अधीन होगा।

प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित

सहायक संचालक
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास,भोपाल

—0—